प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'ग्यारह'

[22/2/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 557]

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

प्रश्न

उत्तर भेजने का अन्तिम दिनांक :
13/02/2017

वर्ग : 1 सदन में उत्तर देने का दिनांक : **22/02/2017** विभाग का नाम : **विधि और विधायी कार्य**

विषय : **नागदा में ए.डी.जे. कोर्ट के सम्बंध मे**

(**तारांकित** प्रश्न क्रमांक : 557) **श्री दिलीप सिंह शेखावत**

क्या **लोक निर्माण मंत्री** महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि -

(क) क्या मा. न्यायाधीशों के आवास के लिये नागदा में कोई योजना प्रचलित है ? यदि हाँ तो कब तक स्वीकृत हो जावेगी ? (ख) क्या वर्तमान न्यायालय परिसर नागदा के प्रथम मंजिल के निर्माण के लिये कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हाँ तो कब तक स्वीकृत हो जावेगी ?

You Have Reply Successfully of this Question

Reply By : <u>**LAW & LEGISLATIVE AFFAIRS**</u> | Reply Date On : **13/02/2017 12:36:37 PM** | Status: **Pending**

लोक निर्माण मंत्री श्री रामपाल सिंह : (क) तहसील नागदा में न्यायिक अधिकारियों के लिये आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कलेक्टर, उज्जैन के आदेश दिनांक 29.1.14 के द्वारा ग्राम पाडल्या कला तहसील नागदा स्थित शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 294 रकबा 3.512 हैक्टयर गोचर में से 0.20 हैक्टेयर भूमि आबंटित की गई है। उक्त भूमि अनुपयुक्त होने के कारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश उज्जैन के द्वारा उक्त भूमि के स्थान पर नागदा में सर्वे क्रमांक 438 रकबा 3.585 हैक्टेयर शासकीय भूमि नवीन न्यायालय भवन एवं आवासीय भवनो के निर्माण हेतु आबंटन की कार्यवाही प्रचलित है। (ख) वर्तमान न्यायालय भवन नागदा में एक न्यायालय कक्ष, अभिलेखागार कक्ष, प्रतिलिपि कक्ष, मालखाना कक्ष के निर्माण हेतु विस्तृत प्राक्कलन तैयार कराये जाने के लिये जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन द्वारा संभागीय परियोजना यंत्री, लोक निर्माण विभाग, पी आई यू उज्जैन को पत्र दिनांक 20.1.16, स्मरण पत्र दिनांक 23.2.16 एवं 12.3.16 को लिखा गया है परंतु लोक निर्माण विभाग से उक्त निर्माण कार्य से संबधित विस्तृत प्राक्कलन आज दिनांक तक अपेक्षित है।

Attachment :